न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 50/2025

प्रार्थी

1. प्रकाशचन्द्र पुत्र हरीशंकरजी आयु वयस्क जाति रावल निवासी–कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही, राज. ।

बनाम

अप्रार्थीगण

स्व. मांगीलाल पुत्र धर्माजी जाति सेठिया निवासी कालन्द्री के वारिसान

1. कैलाश सेठिया पुत्र स्व. मांगीलालजी जाति सेठिया आयु वयस्क निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही, राज.।
2. महावीर सेठिया पुत्र स्व. मांगीलालजी जाति सेठिया आयु वयस्क निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही, राज.।
3. मीना पुत्री स्व.मांगीलालजी जाति सेठिया आयु वयस्क निवासी कालन्द्री हाल–मोकलसर
4. टीना उर्फ पिना पुत्री स्व.मांगीलालजी जाति सेठिया आयु वयस्क निवासी कालन्द्री हाल सादडी जिला पाली
5. ग्राम पंचायत कालन्द्री जरिये सरपंच एवं प्रशासक

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री परीक्षित खरोर, प्रार्थी की ओर से

(2) अधिवक्ता श्री अश्विन मरडीया, अप्रार्थी संख्या–1 (एक) ता 4(चार) की ओर से

–: निर्णय :– दिनांक 28 अप्रेल, 2026

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा श्री मांगीलाल पुत्र धर्माजी जाति सेठिया नि. कालन्द्री के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 20 दिनांक 03.12.1984 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (एक) ता 4(चार) की ओर से अधिवक्ता श्री अश्विन मरडीया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या– 1 (एक) ता 4(चार) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या– 5(पांच) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री खरोर ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के मालकी स्वामित्व एवं कब्जे आधिपत्य का एक पुश्तैनी आवासीय भूखण्ड आबादी ग्राम कालन्द्री में वलदरा रोड पर माला वावडी के सामने आया हुआ है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैरू–

उत्तर में :– 10 फुट की गली व रूपाराम धनीरामजी रावल का मकान
दक्षिण में :– पंचायत भुमि
पूर्व में :– 10 फुट की गली
पश्चिम में :– वलदरा रोड व दरवाजा दो
कुल क्षेत्रफल = 2000 वर्गफीट

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

उपरोक्त आवासीय भूखण्ड पर प्रार्थी का उसके पिता के हाथ का करीबन 50–60 वर्ष पुराना कब्जा भोगवटा है तथा प्रार्थी के पिता का देहान्त होने के बाद उक्त भुखण्ड का उपयोग व उपभोग प्रार्थी कदीम से निर्बाध रूप से करता आ रहा है। उक्त भुखण्ड के चारो तरफ बाउण्ड्री वॉल निकाली हुई है जिसमे प्रार्थी का सामान पडा है। प्रार्थी के पिता श्री हरीशंकरजी द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त आवासीय प्लोट का पट्टा जारी कराने के लिए तत्कालिन सरपंच व पंचायत प्रसार अधिकारी सिरोही को प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन उसका आज दिन तक पट्टा जारी नही किया गया है तथा मौके पर प्रार्थी बतौर स्वामी की हैसियत से उक्त भुखण्ड का उपयोग व उपभोग आज दिन तक निर्बाध रूप से करता आ रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 स्व. मांगीलाल पुत्र धर्माजी जाति सेठिया निवासी कालन्द्री के वारीसदार है। स्व. मांगीलाल पुत्र धर्माजी सेठिया ने अपने जीवनकाल मे ही तत्कालिन ग्राम पंचायत कालन्द्री के साथ मेल मिलाप कर यह जानते बुझते कि वर्णित आवासीय भुखण्ड पर मौके पर उसका कब्जा स्वामित्व नहीं है, चोरी छिपके तत्कालिन सरपंच के साथ मेल मिलाप कर उक्त भुखण्ड का पट्टा संख्या 20 मिसल सं. 111 दिनाँक 03.12.1984 को स्व. मांगीलाल ने अपने हक मे जारी करवाया है। जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिनाँक 12.03.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 कैलाश सेठिया व महावीर सेठिया द्वारा प्रार्थी को धमकी दी गई कि प्लोट का कब्जा हटा देना यह प्लोट हमारा है ओर मेरे द्वारा ग्राम पंचायत से एन.ओ.सी. जारी करवाई है। प्राथी ने ग्राम पंचायत से पट्टा व मिसल की नकल मांगी तो ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे की मिसल उपलब्ध नहीं होने का पत्र जारी करते हुए केवल पट्टा की कोपी जारी की है। उपरोक्त भुखण्ड पर प्रार्थी व उसके स्व.पिता का कब्जा स्वामित्व पट्टा जारी होने से पूर्व अर्थात दिनोंक 31.12.1984 के पहले से ही निर्बाध रूप से चला आ रहा है तथा उस पर प्रार्थी द्वारा बरसो पूर्व चार दिवारी का निर्माण करवा कर उसका सामान रखा हुआ है व उपरोक्त भुखण्ड प्रार्थी का कब्जा सुदा है उसकी निजी जानकारी अप्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 5 ग्राम पंचायत को भली भांति है व अप्रार्थीगण की जानकारी में प्रार्थी उपरोक्त भुखण्ड का स्वतंत्र रूप से उपयोग व उपभोग कदीम से करता आ रहा है। यह कि अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 के पिता स्व. मांगीलाल जी सेठिया ने यह जानते बुझते कि उपरोक्त वर्णित आवासीय भुखण्ड प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व का है, को हडपने की बदनियती से अप्रार्थी सं. 05 तत्कालीन ग्राम पंचायत कालन्द्री के सरपंच व सचिव के साथ मेल मिलाप करके व आपस में फर्जीवाडा करके प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जा सुदा भुखण्ड का फर्जी पट्टा संख्या 20 मिसल सं. 111 दिनाँक 03.12.84 को अपने हक में जारी करवा दिया था व उक्त फर्जी पट्टे की आड में अप्रार्थी सं. 1 व 02 उक्त भुखण्ड पर जबरन कब्जा करना चाहते है व इस हेतु आए दिन प्रार्थी के साथ झगडा फिसाद करते है। व जबरन कब्जा करने की कोशिश करते रहते हैं। अप्रार्थी संख्या 5 सरपंच, तत्कालिक ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा पट्टा संख्या 20 मिसल सं. 111 दिनोंक 31.12.84 जो स्व.मांगीलाल सेठिया के नाम से जारी किया गया है जो पट्टा विधि विरूद्ध व नियमो को ताक में रखकर जारी किया गया है जो अवैध होने से अपास्त करने योग्य है। ग्राम पंचायत को प्रार्थी की कब्जा शुदा पुश्तैनी भुमि का पट्टा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जारी करने का कोई कानुनी हक अधिकार नहीं है। जिससे उक्त पट्टा संख्या 20 मिसल सं. 111 दिनोंक 03.12.84 काबिले निरस्त है। स्व. मांगीलाल सेठिया ने तत्कालिन ग्राम पंचायत कालन्द्री से मेल मिलाप कर 03.12.84 को पट्टा जारी करवाया है जबकि आज दिन तक स्व.मांगीलाल सेठिया अथवा उसके वारीसान अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का कब्जा मौके पर नहीं रहा है तथा उक्त प्लोट प्रार्थी के पिता के हाथ का पुश्तैनी कब्जे मालकी स्वामित्व का है जिसकी निजी जानकारी होते हुए भी स्व. मांगीलाल सेठिया ने ग्राम पंचायत से मेल

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

मिलाप कर विधि विरूद्ध पट्टा जारी करवाया है जो पट्टा अपास्त करने योग्य है। पट्टा संख्या 20 मिसल सं.111 दिनाँक 03.12.1984 एक फर्जी व मिथ्या दस्तावेज है क्योकि प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से उक्त पट्टे के मिसल की नकल ग्राम पंचायत कालन्द्री से मांगी गई थी लेकिन ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा जरिये पत्र यह सुचित किया है कि इस पट्टा नंबर की कोई मिसल, पट्टा आवेदन फार्म, रसीद आदि पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध नही है जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त पट्टा सं. 20 एक फर्जी दस्तावेज है जो काबिले खारीज के है। अप्रार्थी सं.01 व 02 गत 2 माह से उक्त फर्जी पट्टा सं.20 की आड मे प्रार्थी से उसके पट्टाशुदा भुखण्ड का कब्जा लेने के लिए लडाई झगडा कर रहा है व जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है जिससे प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह उक्त फर्जी पट्टा सं.20 को निरस्त व शुन्य घोषित करवाये। अतः निवेदन किया है कि प्रार्थी की इस निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर फरमाया जाकर बाद तलबी रेकर्ड एवं बाद सुनवाई पक्षकारान न्यायहित में प्रार्थी की इस निगरानी को स्वीकार फरमाया जाकर पट्टा सं 20 मिसल सं. 111 दिनाँक 03.12.84 ग्राम पंचायत कालन्द्री बहक स्व. मांगीलाल सेठिया को अपास्त कराना फरमावें। जबकि अप्रार्थी संख्या–1 ता 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री मरडीया ने बहस के दौरान अप्रार्थीगण जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के मालकी स्वामित्व एवं कब्जे आधिपत्य का एक पुश्तैनी आवासीय भुखण्ड आबादी गाम कालन्द्री में वलदरा रोड पर माला वावडी के सामने आया हुआ है। गलत है और अस्वीकार है। दर्शाया भूखंड प्रार्थी के मालकी स्वामित्व एवं कब्जे आधिपत्य का नहीं है और ना कभी रहा है एवं चतुर्दशी का कोई भूखंड कालंद्री वलदरा रोड पर नहीं है। कालंद्री वलदरा सड़क पर रूपाराम जी रावल के दक्षिण में अप्रार्थीगण के स्वामित्व, कब्जे व आधिपत्य का भूखंड अवश्य है। जिसके उत्तर में रूपाराम पुत्र धनीराम जी का मकान, दक्षिण में पंचायत भूमि, पूर्व में 52 फीट की गली व उसके बाद विसाराम की जायदाद तथा पश्चिम में सड़क स्थित है। उक्त भूखंड पर प्रार्थी के पिता का कभी भी कब्जा नहीं रहा है एवं ना ही प्रार्थी का कब्जा उसके पिता के देहांत के बाद अथवा उसकी मौजूदगी में कभी भी रहा है। भूखंड के चारों तरफ चार दिवारी अप्रार्थी संख्या 1 की माता मंजुला देवी व दादी पानी देवी द्वारा बनवानी आरंभ की गई थी। उक्त चार दिवारी वर्ष 1986 में पूर्व, दक्षिण व पश्चिम दिशा में भूमि से 3 फीट ऊंची बन चुकी थी एवं उत्तर दिशा में पूर्व की ओर 4 फीट तथा आगे पश्चिम की ओर 2–3 फीट ऊंचाई तक बन चुकी थी। पश्चिम दिशा में फाटक लगाई जाकर उस पर ताला अप्रार्थीगण व उनके पूर्वाधिकारियों का लगा हुआ था। उक्त भूखंड पर 7000 ईटें, एक ट्रक जोधपुरी पट्टीयां व ३ ट्रक पत्थर पड़े हुए थे। सन् 1982 मार्च में अप्रार्थी सं. 1 के पिता मांगीलाल जी ने तीन ट्रक पत्थर और डलवाए थे। अप्रार्थीगण व उसके पूर्वाधिकारी उक्त भूखंड का निरंतर व निर्बाध उपयोग करते रहे हैं। अप्रार्थीगण की माता व दादी ने कई वर्षों तक उक्त भूखंड पर दुधारू पशु बांधे हैं तथा उनका गोबर व गली का गोबर एकत्रित कर भूखंड पर डाला है और उपले बनाए हैं। प्रार्थी के पिता उक्त भूखंड से एक भूखंड छोड़कर ही निवास करते थे और प्रश्न गत पट्टे वाली भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वा–धिकारियों का कब्जा होना उनकी पूर्ण जानकारी में था। उक्त भूखंड पर प्रार्थी अथवा उसके पिता का कब्जा कभी नहीं रहा है एवं ना कोई आवेदन अप्रार्थीगण की जानकारी में पट्टा प्राप्त करने हेतु ही प्रस्तुत किया गया है। उक्त से असंगत हुए बिना निवेदन है कि प्रार्थी ने स्पष्ट नहीं किया है कि उसके पिता द्वारा कब या किस दिनांक को आवेदन किया गया था। प्रश्नगत भूमि का पट्टा अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के पक्ष में पुराने कब्जे की पुष्टि होने के आधार पर दिनांक 03.12.1984 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया था। प्रार्थी उक्त भूमि का कभी भी स्वामी नहीं रहा है और ना भूखंड कभी भी प्रार्थी के कब्जे अथवा उपयोग उपभोग में ही रहा है। अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

मांगीलाल जी के वारिस अवश्य है। अप्रार्थी संख्या 4 का नाम गलत अंकित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 4 का नाम पीना है। अप्रार्थी संख्या 2 श्री कांतिलाल का गोदी पुत्र है। मांगीलाल जी ना तो कोई प्रभावशाली व्यक्ति थे और ना रसूखदार व्यक्ति ही थे। प्रश्नगत भूखंड मांगीलाल जी के पुराने कब्जे व उपयोग का था। मांगीलाल जी ने अपने पुराने कब्जे के आधार पर भूखंड का पट्टा प्राप्त करने हेतु सन् 1982 में ग्राम पंचायत में आवेदन किया था एवं ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 111 सन 1982 कायम की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत्त कार्यवाही की जाकर मांगीलाल जी के पुराने कब्जे की जांच कर संतुष्ट होकर पंचायत बैठक दिनांक 18.03.1983 में भूखंड का पट्टा रुपए 501— कीमत लेकर मांगीलाल जी के पक्ष में जारी करना तय किया। उक्त निर्णय की पालना में रसीद संख्या 100 दिनांक 27.10.1984 के जरिए रुपए 501/— ग्राम पंचायत कोष में जमा करवाए गए थे एवं ग्राम पंचायत ने विधिवत पट्टा दिनांक 03.12.1984 को जारी किया। यदि भूखंड पर प्रार्थी के पिता का कभी भी कब्जा रहा होता तो उक्त भूखंड का पट्टा जारी करने के प्रकाशित आपत्ति नोटिस पर आपत्ति अवश्य करते। प्रार्थी के पिता की पूर्ण जानकारी में मांगीलालजी को उनके कब्जेशुदा भूमि का पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूखंड पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा ही नहीं रहा है और ना अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का प्रार्थी से दिनांक 12.03.2025 को अथवा कभी भी मिलना ही हुआ है और ना अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा धमकी दी जाने की आवश्यकता ही हुई। पट्टा विधि अनुसार है और 3 न्यायालयों द्वारा इसकी पुष्टि की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने स्वामित्व की सम्पति पर भवन निर्माण करवाने हेतु अनुमति लेने के लिए विधि अनुसार ग्राम पंचायत में आवेदन किया था और ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार शुल्क लेकर भवन निर्माण अनुमति जारी की गई है। ग्राम पंचायत में कोई पदाधिकारी ना तो अप्रार्थी के पहचान वाले है और ना रिश्तेदार है। अप्रार्थी द्वारा कोई सांठगांठ ग्राम पंचायत से नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के वैध पट्टे की भूमि के संबंध में जारी किया गया है। भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे व स्वामित्व का है। अतः भूखण्ड को हड़पने की अप्रार्थीगण को कतई आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत भूखंड पर प्रार्थी व उसके पिता का कब्जा व स्वामित्व कभी भी नहीं रहा है। चारदीवारी अप्रार्थीगण की माता व दादी द्वारा बनवाई गई थी एवं गेट बनाकर उस पर फाटक भी लगवाई गई थी। उक्त भूखंड पर प्रार्थी का कोई सामान कभी भी नहीं रहा है। भूखंड पर पड़ी निर्माण सामग्री अप्रार्थीगण के स्वामित्व की है। भूखंड पर प्रार्थी का कभी कब्जा ही नहीं रहा है अतः अप्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थीगण को उसकी निजी जानकारी होने का कथन ही औचित्यहीन है। उक्त भूखंड पर अपना पुराना कब्जा जताते पड़ोसी श्री रूपाराम पुत्र धनीराम जी रावल द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की माता मंजुला देवी, चाचा अशोक जी एवं चंपालाल जी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था जो संख्या 29/1993 पर संस्थित हुआ था। उक्त वाद में न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों की होना निर्णित किया गया है एवं रुपाराम का उक्त संपत्ति में कोई हक अधिकार व कब्जा नहीं होना विवेचित करते दावा दिनांक 15.03.1999 को खारिज किया गया है। उक्त निर्णय के विरुद्ध रूपाराम जी के वारिसान् द्वारा श्री जिला न्यायालय सिरोही में अपील प्रस्तुत की गई थी, जो संख्या 14/1999 पर संस्थित होकर दिनांक 06.12.2005 को खारिज की गई है। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अवधि पार द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी जो संख्या 226/2008 पर संस्थित हुई थी। अपील में 5—6 वर्षों तक किसी भी व्यक्ति द्वारा रूपाराम जी के वारिसान की ओर से उपस्थिति नहीं देने के कारण दिनांक 16.09.2013 को खारिज की जा चुकी है। उक्त संपत्ति निश्चित व स्थापित रूप से प्रार्थी अथवा उसके पिता के कब्जे व उपयोग में कभी नहीं रही है। उक्त भूखंड पर पड़ी निर्माण सामग्री को चोरी

....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

करने के संबंध में रूपाराम जी द्वारा श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही के न्यायालय में मंजुलादेवी, चम्पालालजी, कांतिलालजी व अशोकजी के विरूद्ध परिवाद भी प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी के पिता का मकान प्रश्नगत पट्टे वाले भूखंड के उत्तर दिशा में रूपाराम जी के मकान से लगता हुआ है। प्रार्थी के पिता रूपाराम जी के सगे भाई है। पड़ौसी और भाई होने के नाते उन्हें उक्त विवाद के संबंध में पूर्ण जानकारी आरंभ से रही है। हरिशंकर जी ने कभी भी प्रश्नगत पट्टे वाली संपत्ति में अपने अधिकार होने का दावा नहीं किया है। रूपाराम जी के वारिसान् की प्रश्नगत पट्टे वाली संपत्ति के संबंध में न्यायालय से हार हो जाने के पश्चात् रूपाराम जी के वारिसान ने प्रार्थी को जरिया बनाकर उक्त संपत्ति के संबंध में पुनः झूठे व बनावटी तथ्यों पर विवाद आरंभ किया है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की सम्पति हड़पने हेतु झुठे व कूटरचित कथन किए है। प्रश्नगत पट्टे वाला भूखंड स्वर्गीय मांगीलाल जी के कब्जे में था और उनके व उनके परिजनों के उपयोग उपभोग में था। उक्त कब्जेशुदा भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार स्वर्गीय मांगीलाल जी द्वारा आवेदन किया गया था। उक्त आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर पट्टा जारी किया गया है। यदि भूखंड प्रार्थी के पिता के कब्जे में रहा होता तो वह पट्टा प्राप्ति के आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत करते अथवा पट्टा जारी करने के विरुद्ध निगरानी याचिका प्रस्तुत करते। यह गौर योग्य है कि प्रार्थी स्वर्गीय रूपाराम जी का भतीजा है और प्रश्नगत भूखंड के उत्तर में रूपाराम जी के मकान से लगाते हुए ही उसका मकान है। रूपारामजी व अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों के बीच चले दावे, आपराधिक प्रकरण व पट्टा जारी होने के उक्त तमाम तथ्यों की प्रार्थी के पिता को पूर्ण जानकारी रही है। माननीय उच्च न्यायालय में रूपाराम जी के वारिसान् की अपील खारिज हो चुकने के काफी अर्से पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूखंड पर निर्माण करने हेतु ग्राम पंचायत से अनुमति मांगी गई थी एवं ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार अनुमति प्रदान की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भूखंड पर निर्माण हेतु मिस्त्री को दिखाए जाने की जानकारी रूपाराम जी के वारिसान् को हो जाने पर उन्होंने प्रश्नगत पट्टे वाले भूखंड के सम्बंध में पुनः नए सिरे से विवाद आरंभ करने की बदनीयती से प्रार्थी को तैयार किया है और प्रार्थी द्वारा सर्वथा झूठ व काल्पनिक कथन भूखंड पर कब्जा होने के संबंध में करते यह आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के संबंध में लंबित विवाद में हरिशंकर जी अथवा प्रार्थी ने कभी भी पक्षकार बनने का प्रयास नहीं किया जो प्रार्थी के द्वारा किए गए कथनों को स्पष्ट रूप से झुठलाता है एवं नकारता है। उक्त पट्टेशुदा भूखंड के कब्जे व स्वामित्व के सम्बंध में विवाद का निस्तारण सक्षम दीवानी न्यायालय से हो चुका है। प्रार्थी का उक्त भूखंड में किसी प्रकार का कब्जा व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आजीविका हेतु मुम्बई तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 अपने ससुराल कालन्द्री से बाहर रहती है। भूखंड अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व का है, अतः उन्हें अपने ही स्वामित्व व कब्जे के भूखंड पर कब्जा करने की अथवा किसी से झगड़ा फसाद करने की आवश्यकता ही नहीं है। पट्टा संख्या 20 दिनांक 03.12.1984 विधि अनुसार है। प्रार्थी ने स्पष्ट नहीं किया है कि पट्टा जारी किए जाने में किन नियमों की क्या पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता केवल मात्र अपने पुरानें कब्जे की भूमि क्रय करने हेतु आवेदक थे। नियमों की पालना करने का दायित्व अप्रार्थी संख्या 5 का था। अप्रार्थी संख्या 1 की जानकारी में अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा नियमों की पालना विधिवत की गयी है एवं उसमें कोई अनियमितता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 5 के किसी भी कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और ना उसे दंडित किया जा सकता है। जारी पट्टेवाली भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 के पिता का 1982 से भी पहले का पुराना कब्जा था। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 20 नियमानुसार जारी किया गया है। प्रार्थी को 41 वर्ष पश्चात् उक्त पट्टे को चुनौती देने का अधिकार ही नहीं है। अन्यथा भी प्रार्थी का उक्त पट्टे वाली

....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

संपत्ति में कब्जा अथवा अधिकार नहीं है और प्रार्थी व्यथित व्यक्ति की तारीफ में नहीं है। प्रार्थी आवेदन के जरिए दीवानी न्यायालय द्वारा किए गए विवेचनाओं, निष्कर्षों तथा निर्णयों को चुनौती नहीं दे सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किए जाने में किसी प्रकार का मेल मिलाप नहीं किया गया है और ना स्वर्गीय मांगीलाल जी इतने प्रभावशाली व्यक्ति या नेता थे. जो ग्राम पंचायत पर हावी रहते। प्रश्नगत पट्टे वाली संपत्ति पर स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा उनके परिवारजन सन् 1982 के पूर्व से काबिज रहे हैं। उनकी निर्माण सामग्री उक्त भूखंड पर पड़ी हुई थी और आज भी पड़ी हुई है। प्रार्थी के चाचा रूपाराम के पक्ष में जारी पट्टे में मांगीलालजी का भूखण्ड दर्शाया हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर भूखंड स्वर्गीय मांगीलाल जी के पुराने कब्जे का होने की पुष्टि व संतुष्टि कर पट्टा जारी किया गया है। भूखंड पर मांगीलाल जी व उनके परिजनों का कब्जा दीवानी न्यायालय द्वारा भी निर्णय में पुष्ट किया जा चुका है। उक्त भूखंड प्रार्थी का कब्जाशुदा या पुश्तैनी नहीं था और ना कभी प्रार्थी या उसके पूर्वाधिकारी के कब्जे में रहा है। प्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को चुनौती देने का अधिकार ही नहीं है। प्रार्थी ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जो भूखंड पर प्रार्थी का कब्जा होना सिद्ध करती हो। प्रार्थी का आवेदन ही खारीजगी काबिल है। स्व. मांगीलाल का भूमि पर पुराना कब्जा था। भूमि का पट्टा प्राप्ति हेतु किए गए आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाकर भूमि का विक्रय किया गया है एवं पट्टा विलेख जारी किया गया है। प्रार्थी के पिता का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी के पिता को अपने भाई रुपाराम द्वारा किए गए दावे एवं फौजदारी प्रकरणों की पूर्ण जानकारी थी। प्रार्थी अथवा उसके पिता ने रूपाराम जी द्वारा प्रस्तुत दावे में कभी भी भूमि उनके कब्जे की होना दर्शाते पक्षकार बनने का प्रयास नहीं किया। यदि हरिशंकर जी का उक्त भूमि में कभी भी कब्जा रहा होता तो भूमि पर मांगीलाल जी द्वारा रखी गई भवन निर्माण सामग्री का व किए गए निर्माण पर एतराज करते। अपने भाई द्वारा किए गए दावे व कार्यवाही की जानकारी प्रार्थी के पिता को ना हो अथवा अपने चाचा के परिवार वालों द्वारा उच्च न्यायालय तक लड़े गए मुकदमे की जानकारी प्रार्थी को ना हो, मानव व्यवहार के विपरीत है। प्रार्थी व उसके पिता की अब तक चुप्पी ही भूमि पर उनके कब्जे के तथ्य को झूठा साबित करता है। पट्टा वैध है व नियमानुसार जारी किया गया है। प्रार्थी उक्त पट्टे को चुनौती देने का अधिकार ही नहीं रखता है। प्रार्थी की निगरानी विधि में पोषणीय ही नहीं है और ना प्रार्थी व्यथित व्यक्ति की परिभाषा में है। प्रार्थी द्वारा नकल मांगे जाने की तथा ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए जवाब की जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं है। उक्त पट्टे से संबंधित संपूर्ण अभिलेख ग्राम पंचायत में मौजूद था। ग्राम पंचायत द्वारा पत्र जारी किए जाने मात्र से पट्टा फर्जी नहीं हो जाता है। भूमि की मिसल, विक्रय राशि की रसीद बुक, बैठक रजिस्टर आदि ग्राम पंचायत में उपलब्ध थे। पट्टे पर लिखी गई इबारत से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा मिसल का संधारण किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी प्रक्रिया के अपनाएं पट्टा जारी किया जाना संभव ही नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा यदि पद में दर्शाए अनुसार सूचित किया गया है तो बिना किसी आधार के तथा बिना संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त किए लापरवाही व गैर जिम्मेदारी पूर्वक गलत सूचना दी है। राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 166 के तहत आबादी भूमि विक्रय करने के पंचायत के मूल आदेश की अपील अधिनियम की धारा 61 के तहत किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिन मामलों में अपीलें प्रावधानित है, उन मामलो में निगरानी के जरिये हस्तक्षेप करना अपीलीय न्यायालयों द्वारा अवैध होना विनिश्चित किया है। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारीजगी काबिल है। प्रार्थी ने विधिक अवधि के भीतर निगरानी प्रस्तुत करने करने के सम्बन्ध में

....पेज सात पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कोई कथन नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा पेश निगरानी अवधि मध्य नहीं है। सामान्य अवधि अधिनियम के तहत निगरानी हेतु 90 दिन की अवधि निश्चित है अतः अन्यथा भी निगरानी म्याद बाहर है। विधि में हर अनुतोष हेतु अवधि नियत है। प्रार्थी की निगरानी न तो अवधि मध्य है और न निगरानी पोषणीय ही है। माननीय न्यायालय ने भी प्रार्थी की याचिका दर्ज करने में गंभीर विधिक त्रुटी की है। निगरानी हेतु जहां अवधि का प्रावधान नहीं है, वहां यथोचित समय के भीतर किया जाना माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय 1997 SAR 783 में व राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1999 RLW [3] 1390 में अभिनिर्धारित किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्पष्ट व संदिग्ध है और विधि में परिपोषनीय नहीं है। नियमों की पालना करने का दायित्व अप्रार्थी संख्या 5 का था। अप्रार्थी संख्या 1 की जानकारी में अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा नियमों की पालना विधिवत की गयी है एवं उसमें कोई अनियमितता नहीं है। प्रार्थी द्वारा लगाए गए आक्षेप बेबुनियाद है अन्यथा भी अप्रार्थीगण के पूर्वरसाधिकारी के हक में हुए अतंरण में यदि कोई कमी रही भी है तो वह अवैधता नहीं है और उससे जारी पट्टा विलेख की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता है। अप्रार्थीगण के पूर्वरसाधिकारी के हक में पुराने कब्जेशुदा भूमि का विक्रय किया गया है। नियमों की पालना अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा किया जाना था, जिसमें अप्रार्थीगण के पूर्वरसाधिकारी से कोई कृत्य अपेक्षित नहीं था। नियमों की अनुपालना करने वाले अधिकारी द्वारा किये गये कार्य व लोप का प्रभाव अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के हक में हुए अन्तरण की वैधता पर नहीं पडता है, क्योंकि अप्रार्थीगण के पूर्वरसाधिकारी का नियंत्रण उन परिस्थितियों पर नही था कि नियमों की अनुपालना वह करवाता। अप्रार्थीगण के पूर्वरसाधिकारी को अप्रार्थी सं. 5 के किसी भी कार्य या लोप के लिए (यदि कोई हुआ हो तो दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और न ही उसे दण्डित किया जा सकता है। प्रार्थी निगरानी के माध्यम से अपील निर्णित करवाना चाहता है। निगरानी व अपील की सुनवाई व आपत्ति हेतु पृथक व सीमित अधिकार प्रदान किए गए है। प्रार्थी ने निगरानी के जो आधार लिए है वे अपील में ही उठाए जा सकते है। विधि में अपील की व्याप्ति व निगरानी की व्याप्ति में भारी भिन्नता है। निगरानी की व्याप्ति सीमित है एवं निगरानी केवल क्षेत्राधिकार की त्रुटि के सम्बन्ध में ही प्रस्तुत की जा सकती है। प्रार्थी निगरानी के जरिये उठाई आपत्ति की सुनवाई कराने के अधिकारी नहीं है और निगरानी खारीज किये जाने योग्य होने से आवेदन भी खारीजगी योग्य है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा श्री मांगीलाल पुत्र धर्माजी, जाति– सेठिया निवासी– कालन्द्री के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 20 दिनांक 03–12–1984 को जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थीगण का मुख्यतः कथन यह है कि "ग्राम कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही में प्रार्थी के मालकी स्वामित्व एवं कब्जे आधिपत्य का एक पुश्तैनी आवासीय भूखण्ड वलदरा रोड पर माला वावडी के सामने आया हुआ है। जिसके उत्तर में 10 फुट की गली व रूपाराम धनीरामजी रावल का मकान, दक्षिण में पंचायत भूमि, पूर्व में 10 फुट की गली एवं पश्चिम में वलदरा रोड व दरवाजा दो है ,जिसका कुल क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट है। उपरोक्त आवासीय भूखण्ड पर प्रार्थी का उसके पिता के समय का करीबन 50–60 वर्ष पुराना कब्जा भोगवटा है तथा प्रार्थी के पिता का देहान्त होने के बाद उक्त भुखण्ड का उपयोग व उपभोग प्रार्थी कदीम से निर्बाध रूप से करता आ रहा है। उक्त भुखण्ड के चारो तरफ बाउण्ड्री वॉल निकाली हुई है जिसमे प्रार्थी का सामान पडा है। प्रार्थी के पिता श्री हरीशंकरजी द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त आवासीय प्लॉट का पट्टा जारी कराने के लिए तत्कालिन सरपंच व पंचायत प्रसार अधिकारी सिरोही को प्रार्थना

....पेज आठ पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पत्र दिया था, लेकिन उसका आज दिन तक पट्टा जारी नही किया गया है तथा मौके पर प्रार्थी बतौर स्वामी की हैसियत से उक्त भुखण्ड का उपयोग व उपभोग आज दिन तक निर्बाध रूप से करता आ रहा है। ''

इस संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में अंकित कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन यह पाया गया कि ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थीगण के पिता श्री मांगीलाल पुत्र धर्माजी, जाति– सेठिया निवासी– कालन्द्री के पक्ष में पट्टा विलेख संख्या 20 दिनांक 03–12–1984 को जारी किया गया है। प्रार्थी या उसके पिता द्वारा उक्त प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत कालन्द्री में कब या किस दिनांक को आवेदन किया, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित नहीं हो रहा है कि प्रार्थी या उसके पिता द्वारा उक्त प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन किया था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि श्री रूपाराम पुत्र श्री धनीरामजी, जाति– रावल, निवासी– कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही के उत्तराधिकारीगण श्री कैलाशचन्द्र व अन्य द्वारा प्रतिवादी मंजुला विधवा पत्नि श्री मांगीलाल व अन्य के विरुद्ध एक वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा हेतु माननीय सिविल न्यायालय(क.ख.), सिरोही में प्रस्तुत किया गया था। माननीय सिविल न्यायाधीश(क.ख.), सिरोही द्वारा दीवानी मूल वाद प्रकरण संख्या 29/93 अनवान श्री रूपाराम बनाम मंजुला में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.1999 के अनुसार वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया गया। माननीय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) सिरोही द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.1999 के विरुद्ध श्री रूपाराम पुत्र श्री धनीरामजी, जाति– रावल, निवासी– कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही के उत्तराधिकारीगण श्री कैलाशचन्द्र व अन्य द्वारा माननीय जिला न्यायालय, सिरोही में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय जिला न्यायाधीश, सिरोही द्वारा दीवानी अपील डिक्रीः 14/99 अनवान श्री रूपाराम बनाम मंजुला में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2005 के अनुसार अपीलान्ट–वादी श्री रूपाराम के उत्तराधिकारीगण की ओर से प्रत्यर्थी–प्रतिवादी मंजुला व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है।

चूंकि प्रकरण में मुख्यतः विवाद बिन्दु, विवादित भूखण्ड़ के कब्जे स्वामित्व का है एवं सम्पति के कब्जे स्वामित्व के बिन्दु को तय करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है। प्रकरण में उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूखण्ड़ के संबंध में श्री रूपाराम के उत्तराधिकारीगण द्वारा प्रतिवादी मंजुला के विरुद्ध माननीय सिविल न्यायालय (क.ख.) सिरोही में प्रस्तुत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दिनांक 15.03.1999 को खारिज हो चुका है तथा माननीय सिविल न्यायालय (क.ख.), सिरोही द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.1999 के विरुद्ध माननीय जिला न्यायालय, सिरोही में प्रस्तुत अपील भी दिनांक 06.12.2005 को खारिज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थीगण का यह निगरानी आवेदन सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थीगण अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28 अप्रेल, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर